सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 11.06.2025 परिक्षेत्रीय कार्यालय जनपद बस्ती।

◆डीआईजी बस्ती द्वारा एसपी सिद्धार्थनगर व सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ भारत-नेपाल बार्डर का किया गया भ्रमण।

◆डीआईजी बस्ती द्वारा सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ गोष्ठी

◆संबंधित को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक 11.06.2025 को श्री संजीव त्यागी पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा डॉ अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के साथ बढनी कस्टम गेस्ट हाउस में एस.एस.बी., आईबी, कस्टम, पुलिस , एलआईयू, रा आदि विभाग के अधिकारियों के साथ सर्वप्रथम परिचय प्राप्त कर सभी अधिकारीगण के साथ गोष्ठी की गयी।

डीआईजी बस्ती द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप “आपरेशन कवच” के तहत एस0पी0 सिद्धार्थनगर को आपरेशन त्रिनेत्र के प्रभारी की अध्यक्षता में एक टीम का गठन करने जिसमें पुलिस व प्रशासनिक तथा बार्डर सुरक्षा एजेंसियों (एसएसबी,एलआईयू,कस्टम आदि) के अधिकारी/कर्म0 रहेगें की संयुक्त टीम द्वारा बार्डर पर सामानों की चेकिंग कर कार्यवाही करने, प्रत्येक सप्ताह आपरेशन कवच के तहत गठित ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ संयुक्त रुप से गोष्ठी करने, आसूचना संकलन व मोबाइल न0 का आदान-प्रदान करने तथा उसकी रिपोर्ट प्रत्येक माह देने, मानव तस्करी, मादक पदार्थों / नशीली दवाओं/अवैध शराब व अवैध तरीके से वस्तुओं/सामानो के आयात-निर्यात आदि रोकने, आपरेशन त्रिनेत्र/दृष्टि के तहत ज्यादा से ज्यादा सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाये जाने, संदिग्ध/ देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी करने तथा लाभप्रद सूचनाओं से उच्चाधिकारीगण को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात डीआईजी बस्ती द्वारा पुलिस व प्रशासन के अधिकारीगण तथा सुरक्षा एजेंसियों के साथ भारत-नेपाल बार्डर का फुट पैट्रोलिंग कर संबंधित को दिशा-निर्देश दिया गया।

इस दौरान श्री प्रशान्त कुमार अपर पुलिस अधीक्षक, उपजिलाधिकारी शोहरतगढ, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ, निरीक्षक अभिसूचना इकाई ,पुलिस, कस्टम,आईबी,रा, एस0एस0बी0 आदि के अधिकारी /कर्मचारीगण मौजूद रहें।

सोशल मीडिया सेल
रेंज कार्यालय , बस्ती।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना मोहाना पुलिस व 43 वाहिनी एसएसबी ककरहवा द्वारा चेकिंग के दौरान 48 अदद कैप्सूल (वजन लगभग 28.19 ग्राम) प्रतिबंधित नशीली दवा प्रॉक्सिको स्पास के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन पर व मयंक द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी सदर, सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में रोहित कुमार उपाध्याय थानाध्यक्ष मोहाना के नेतृत्व मे आज दिनांक 11.06.2025 को अपराध एवं अपराधियों व नारकोटिक्स के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत रोकथाम अवैध तस्करी रोकथाम व नारकोटिक्स के विरुद्ध पिलर संख्या 544 वहदग्राम ककरहवा से अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र रामसेवक साकिन तरैनी थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर को पारदर्शी डिब्बे मे कुल 48 अदद नशीले कैप्सूल PROXMEC-SPAS- कुल वजन 28.19 ग्राम लगभग व एक अदद मोबाइल फोन रेड मी व 200 रुपये व आधार कार्ड, पैन कार्ड एक अदद मोटर साइकिल वाहन संख्या UP55AR5053, के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 95/2025 धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.दिलीप कुमार पुत्र रामसेवक निवासी तरैनी थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरणः-

01. **कुल 48 अदद नशीले कैप्सूल PROXMEC-SPAS- कुल वजन 28.19 ग्राम लगभग।**
02. **एक अदद मोबाइल फोन व 200 रुपये, आधार कार्ड, पैन कार्ड।**
03. **मोटर साइकिल वाहन संख्या UP55AR5053।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

01. उ0नि0 विरेन्द्र यादव चौ0प्र0 ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
02. उ0नि0 तपस वर्मन एसएसबी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
03. हे0का0 उमेश कुमार चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
04. हे0का0 अजीत कुमार सिंह एसएसबी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
05. का0 अनुराग तिवारी चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
06. का0 प्रमोद यादव एसएसबी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
07. का0 बृजेश मुर्मु एसएसबी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆एसटीएफ यूनिट लखनऊ व थाना शिवगनर डिडई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा धान खरीद से संबंधित 50,000/- का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डा0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम अपराध की रोकथाम एवं अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन मे थाना शिवनगर डिडई पर पंजीकृत मु0अ0स0 94/2024 धारा 409/120**बी/**420/467/468/471 **भा0द0वि0** मे वांछित **50,000/-** का इनामिया अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र दीनानाथ साकिन सेहुड़ा खुर्द थाना रूधौली जनपद बस्ती जो काफी दिनो से फरार चल रहा था। पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा अभियुक्त पर **50,000/-** का इनाम घोषित किया गया। जिसको STF यूनिट मुख्यालय लखनऊ व थाना शिवगनर डिडई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ फूट ओवरब्रीज के नीचे से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिऱफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.शुभम कुमार पुत्र दीनानाथ निवासी सेहुड़ा खुर्द थाना रूधौली जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण–

01.उ0नि0 पवन कुमार सिंह STF यूनिट मय टीम मुख्यालय लखनऊ।

02.शशांक कुमार सिंह थानाध्यक्ष शिवनगर डिड़ई जनपद सिद्धार्थनगर मय टीम।

प्रेस नोट दिनाँक 11.06.2025 थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना बांसी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डां0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन व संतोष कुमार तिवारी निरीक्षक को0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक-11.06.2025 को बांसी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी द्वारा निर्गत वारण्ट वाद संख्या 223/12 धारा 294 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी चिगानू बहेलिया पुत्र रामदेव साकिन निरालानगर थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार वारण्टियों का विवरण-

01.चिगानू बहेलिया पुत्र रामदेव साकिन निरालानगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 रामप्रताप सिंह, थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
02. हे0का0 ओमबीर यादव, थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना खेसरहा पुलिस द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डा0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक महोदय* के आदेश के क्रम में श्री प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व श्री पवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण श्री चन्दन कुमार थानाध्यक्ष थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2025 धारा 137(2),87,65(1) BNS व 5j(2)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप पुत्र रामबृक्ष उर्फ रक्षा निवासी तालनटवा टोला धर्मपुरवा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 11.06.2025 को प्राथमिक विद्यालय मदुआपुर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.संदीप पुत्र रामबृक्ष उर्फ रक्षा निवासी तालनटवा टोला धर्मपुरवा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण--

01. उ0नि0 रामसुरेश यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

02.आऱक्षी रिकेश यादव थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना खेसरहा पुलिस द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डा0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन पवीन पकाश क्षेत्राधिकारी बाँसी के कुशल पर्यवेक्षण चन्दन कुमार थानाध्यक्ष थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2025 धारा 87,137(2),64(2)(m) BNS व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र विजय कुमार निवासी बनौली थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 11.06.2025 ग्राम बंजरहा बुजुर्ग मोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. जितेन्द्र पुत्र विजय कुमार निवासी बनौली थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण--

01.उ0नि0 राकेश त्रिपाठी चौकी प्रभारी सकारपार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

02.आरक्षी अखिलेश कुमार, अंकुर राय थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन क्लीन" के अन्तर्गत थाना कठेला समय माता पर कुल 02 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल ₹ 15458/- के राजस्व की प्राप्ति।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में व सुजीत कुमार राय क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में आपरेशन क्लीन के तहत चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत उपजिलाधिकारी इटवा, P.T.O परिवहन विभाग सिद्धार्थनगर, शेषनाथ यादव थानाध्यक्ष थाना कठेला समय माता की मौजूदगी में आज दिनांक 11.06.2025 को थाना कठेला समय माता परिसर में 02 अदद दो पहिया वाहनों की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करायी गयी जिसमें कुल ₹ 15458/- रुपये मय जीएसटी राजस्व की प्राप्ति हुई।

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025 थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

◆अपहरण कर हत्या से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता व 01 अभियुक्त को थाना ढ़ेबरुआ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डां. अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे वांछित अभियान के तहत एवं श्री प्रसान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सुजीत राय क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ के कुशल पर्वेक्षण में गौरव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना ढेबरुआ के कुशल नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2025 धारा 140(1) BNS(साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 238,103(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी) से सम्बंधित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

01.अनिल कुमार शुक्ला पुत्र अज्ञाराम शुक्ला साकिन लक्ष्मिनपुर धर्मपुर थाना ललिया जिला बलरामपुर।

02.संगीता पत्नी कन्नन निवासी रेकहट टोला नजर गढ़वा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2025 को संगीता पत्नी कन्नन कश्यप निवासी ग्राम रेकहट टोला नजरगढवा थाना ढेबरुआ जनपद सि0नगर द्वारा पति कन्नन कश्यप उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र स्व0 गोली दिनांक 02.06.2025 दिन में 01 बजे घर से कही चले जाने के संबंध में प्रा0पत्र थाना स्थानीय पर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 05.06.2025 को गुमशुदगी अंकित की गई। दौरान जाँच ज्ञात हुआ कि दिनांक 02.06.2025 को संगीता अपने पति गुमशुदा पति कन्नन कश्यप को अपने साथ सूरज पुत्र राजेश ग्राम अकरहरा थाना ढेबरुआ जनपद सि0नगर के टैम्पों(ई-रिक्शा) में बैठाकर पचपेडवा तिराहा थाना क्षेत्र ढेबरुआ गई थी। वहा सें बलरामपुर जाने वाले प्राइवेट बस में अपने पति के साथ बैठकर बलरामपुर चौराहा जनपद बलरामपुर बसस्टैण्ड पर पहुँची वहाँ पर पहले से मौजूद संगीता उपरोक्त का प्रेमी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक पुत्र आज्ञा राम शुक्ला निवासी लक्ष्णपुर धर्मपुर थाना ललिया जनपद बलरामपुर मौजूद था, वहाँ से संगीता व उसका पति कन्नन, अनिल की मोटरसाइकिल

पर बैठकर विभूतिनाथ मन्दिर बलरामपुर ले गये, जहाँ पर संगीता द्वारा बुखार की दवा बताकर अपने पति कन्नन को 6-7 नींद की दवा खिला दिया, जिससे कन्नन बेहोश हो गया, उसके बाद संगीता व अनिल मोटरसाइकिल पर उसको बीच में बैठकर कोडरी घाट (राप्ती नदी) पुल जनपद बलरामपुर ले गये, वहाँ पर दोनो हाथ बाँधकर बेहोशी हालत में नदी में फैंक दिये, कन्नन का मोबाइल अनिल उपरोक्त के पास है। उक्त के संबंध में थाना स्थानीय पर गुमशुदा कन्नन के भाई बाबूलाल पुत्र स्व0 गोली की तहरीर पर मु0अ0स0-104/2025 धारा 140(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था जिसमें दिनांक 10.06.2025 को अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर पूछताछ कर, अभियुक्तगण की निशानदेही पर राप्ती नदी तट के कोडरी घाट पुल थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर से मृतक कन्नन की बॉडी बरामद की गयी। जिसमें साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 140 (1) बीएनएस से धारा 238,103(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01.प्रभारी निरीक्षक गौरव सिंह थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

02.उ0नि0 दयानन्द प्रसाद, जयप्रकाश प्रसाद, राजाराम यादव, मनोजणि त्रिपाठी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

03.हे0का0 अवनीश प्रताप सिंह, अजीत कुमार थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

04.आरक्षी पंचम यादव, भानू प्रताप सिंह थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

05.महिला आरक्षी आरती मिश्रा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 11.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा थाना मोहाना पुलिस व एसएसबी के साथ थाना मोहाना के ककरहवा भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 11.06.2025 को मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा आपरेशन कवच के तहत थाना मोहाना पुलिस व एसएसबी के साथ थाना मोहाना के ककरहवा भारत नेपाल अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया और एसएसबी के साथ भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, आपसी समन्वय बढ़ाने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में वार्ता की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पैदल गश्त/चेकिंग किया गया।

◆आमजन से संवाद स्थापित कर लोगों से आपस में सौहार्द बनाये रखने की अपील की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 11.06.2025 को जनपद के क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व उसके आस-पास के क्षेत्रों में पड़ने वाले भीड़-भाड़ वाले स्थानों के पर पैदल गश्त/चेकिंग किया गया तथा आमजनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया व आपस में सौहार्द बनाये रखने तथा अफवाहो से बचने की अपील की गयी।

प्रेस नोट दिनांक 11.06.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना ढ़ेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को 01 वर्ष के कठोर कारावास व ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 11-06-2025 को ST.N **40/16 मु0अ0सं0 1589/2016 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश मो0 रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त राजकुमार ढाडी उर्फ लुधई पुत्र राम महेश ढाढी निवासी हौसलाताक कठेला जनुवी थाना ढ़ेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को 01 वर्ष के साधारण कारावास व ₹1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन थाना ढ़ेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा।**